पंजाब में नए खतरनाक संकेत | उत्तर-दक्षिण सितारों का संगम

सच को समर्पित समाचार पत्रिका

20 मार्च 2023, मूल्य ₹40

आउटलुक

www.outlookhindi.com

डॉ. फ्रॉड

विदेशी डिग्रियों और देश में मेडिकल काउंसिलों के रजिस्ट्रेशन के घपले-घोटाले की नई कड़ी पर सीबीआइ की नजर, मगर परीक्षा प्रणाली सहित इसकी परतें काफी उलझी हुईं

RNI NO. DELHIN/2009/26981

facebook.com/outlookhindi twitter.com/outlookhindi

व्यापम से व्यापक

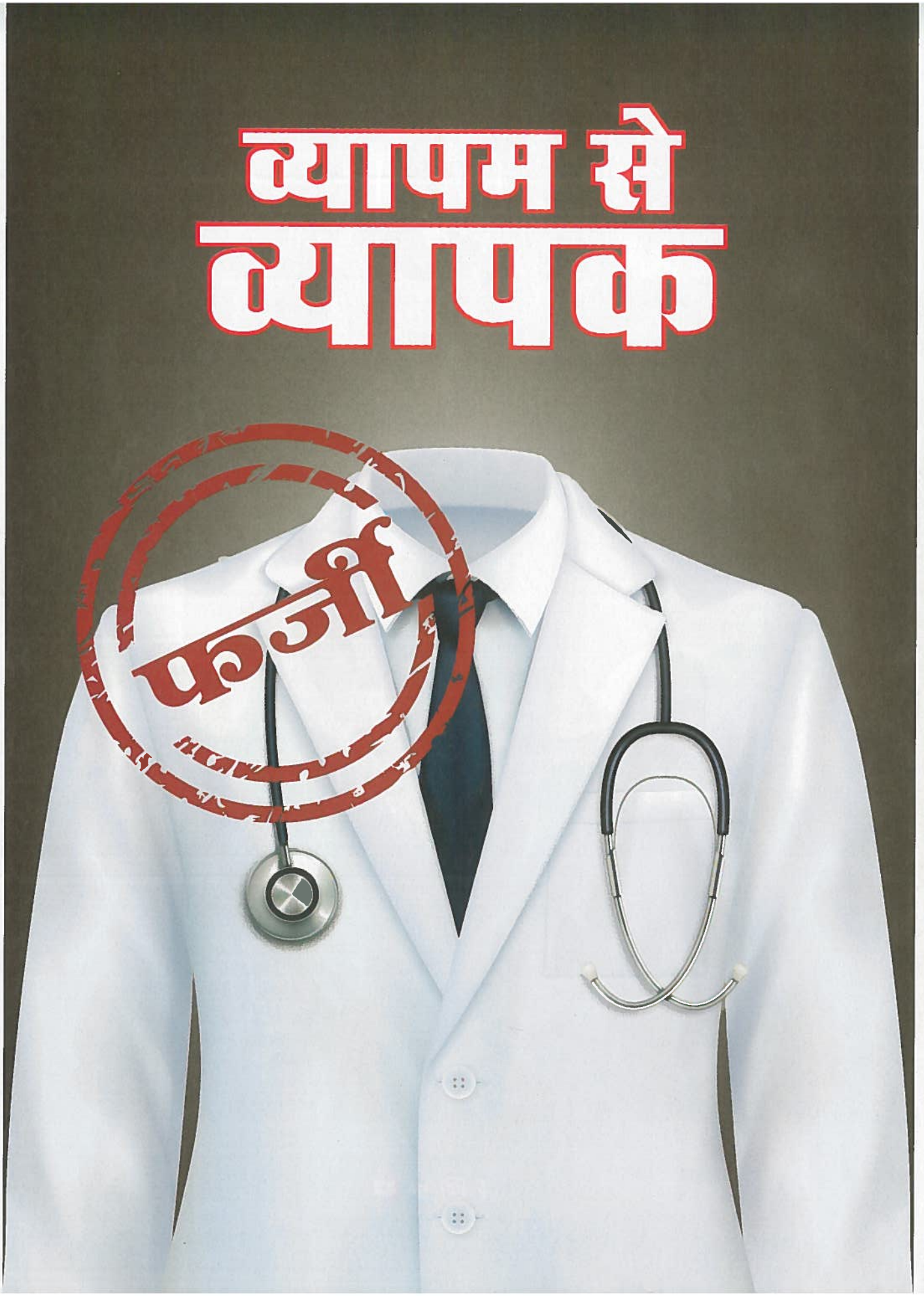

मेडिकल काउंसिल में केतन देसाई कांड के दो दशक और व्यापम घोटाले का करीब दशक भर होने को हैं, इस बीच लाखों छात्र डॉक्टर बने, लेकिन कोरोना की दो लहरों ने स्वास्थ्य ढांचे की पोल खोल दी, अब 73 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पर ताजा एफआइआर ने व्यापम के प्रेत को जिंदा कर दिया

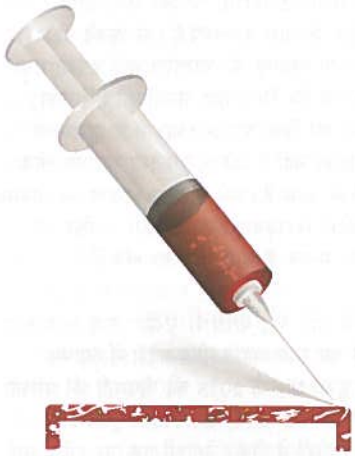

सीबीआइ का मुकदमा 'अज्ञात लोक सेवकों' के ऊपर है। ऐसे में, क्या घोटाले का ठीकरा सिर्फ विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों के सिर पर फोड़ा जा सकता है?

अभिषेक श्रीवास्तव

दस दिन जब दुनिया हिल उठी– रूस की अक्टूबर क्रांति पर 1919 में अमेरिकी पत्रकार जॉन रीड की लिखी इस मशहूर किताब का नाम आज वंशिका की जिंदगी का दु:स्वप्न बन चुका है। पिछले साल वह 24 फरवरी की बदकिस्मत सुबह थी जब रूसी मिसाइलों की पहली खेप यूक्रेन की धरती से टकराई। यूक्रेन नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही वंशिका उस वक्त खारकीव के अपने अपार्टमेंट में थीं। दिल्ली में अपने घर वे 5 मार्च को जैसे-तैसे पहुंचीं, लेकिन इस बीच जो कुछ भी उनके साथ और उनके जैसे हजारों छात्रों के साथ घटा, उसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। रूस-यूक्रेन युद्ध का एक साल पूरा होने पर वंशिका आज उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि कैसे पाकिस्तानी दूतावास ने पूरी उदारता के साथ खाली हाथ वतन वापसी की जद्दोजहद में लगे हिंदुस्तानी छात्रों का खयाल रखा था जब उनकी जान अधर में लटकी थी। देश लौटकर उन्हें इस बात का शिद्दत से अहसास हुआ कि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के प्रति अपने लोगों का नजरिया बहुत खराब है। उन्हें इस पर शर्म आती है। वे पूछती हैं, 'आखिर ऐसा क्यों है कि बाहर पढ़ने वालों को या तो बहुत पैसे वाला समझा जाता है या पढ़ाई में कमजोर?'

इस आम धारणा के उलट हकीकत यह है कि विदेश से मेडिकल की स्नातक पढ़ाई करने वाले यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट (एफएमजी) अकसर उन परिवारों के बच्चे होते हैं जो भारत में मेडिकल की फीस भरने में सक्षम नहीं होते। देश के मोटे तौर पर एक लाख के आसपास मेडिकल की सीटें हैं। मेडिकल की स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट का 2022 का आंकड़ा कहता है कि अकेले अनारक्षित या ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 8 लाख 81 हजार 402 थी। इतनी भारी संख्या के पीछे कटऑफ अंकों का गणित है जिसके अनुसार सरकार 14 से 16 प्रतिशत अंक लाने वाले को भी देश में या बाहर डॉक्टरी की डिग्री के योग्य मानती है। कुल 720 अंकों की इस परीक्षा में 110 के आसपास अंक लाने वाला भी पास हो जाता है। 2022 में यह कटऑफ 117 था। जाहिर है, देश भर के सारे कॉलेज मिलकर भी इन लाखों छात्रों को खपा नहीं पाते। लिहाजा इन्हें बाहर पढ़ने जाना पड़ता है।

यही छात्र जब यूक्रेन संकट के दौरान सत्र के बीच भारत लौटकर आए तो इन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई भारत में करवाने की मांग सरकार से की। एक अभिभावक संघ ने इस सिलसिले में मुकदमा भी किया है। गाजियाबाद में रहने वाले एडमिशन एडवाइजर नामक एजेंसी के मालिक रवि कौल बताते हैं कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री को इस संबंध में चिट्ठी लिखी, तो उनसे एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसका कहना था कि अगर बाहर से आए बच्चों को यहां के कॉलेजों में खपाया गया तो जो लाखों बच्चे बाहर नहीं जा सके और दोबारा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे बगावत पर उतर आएंगे और मेडिकल क्षेत्र में भारी संकट पैदा हो जाएगा।

इस स्थिति का सीधा लाभ उन कंसल्टेंट एजेंसियों को मिला जो विदेश में छात्रों को भेजती हैं। इन एजेंसियों ने यूक्रेन संकट से प्रभावित छात्रों के लिए एक 'मोबिलिटी प्रोग्राम' शुरू किया जिसके तहत उनकी बाकी की पढ़ाई जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तोन में करवाई जाएगी। कुछ छात्र इसमें फंस भी गए। खारकीव में पढ़ने वाले प्रवासी छात्रों पर तकरीबन एकाधिकार रखने वाली ऐसी ही एक एजेंसी ने यूक्रेन युद्ध से हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेटर नोएडा में एक अस्पताल तक खोल लिया है जहां वह एफएमजी को ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित कर रही है।

तकरीबन सभी कंसल्टेंट एजेंसियों को जानने वाले रवि कौल कहते हैं, "एफएमजी के संकट के पीछे एक तो इस देश की परीक्षा नीति है यानी राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई)। दूसरे, ये कंसल्टेंट हैं जो शुरू से लेकर

NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST (UG) - 2022

CUT - OFF PERCENTILE AND SCORE AS PER MCI/DCI REGULATION

Category	Cut Off Percentile	Cut off Score	No. of Candidates
UR/EWS	50th Percentile	715-117	881402
OBC	40th Percentile	116-93	74458
SC	40th Percentile	116-93	26087
ST	40th Percentile	116-93	10565

नीट-पीजी 2022 : 14 से 16 प्रतिशत अंक लाने वाला भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता है

अंत तक बच्चों और उनके माता-पिता को फंसाए रखते हैं।"

यह जानना जरूरी है कि विदेश से मेडिकल में स्नातक करके लौटे छात्रों को भारत में एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद ही वे इंटर्नशिप और मेडिकल काउंसिलों में पंजीकरण के योग्य हो पाते हैं। यह परीक्षा एनबीई करवाता है। जाहिर है, जब वे पंजीकरण के लिए काउंसिल में जाते हैं तो उनके कागजात परीक्षण के लिए एनबीई के पास भेजे जाते हैं। वहां से जब उन्हें पास बताया जाता है, तभी उनका पंजीकरण हो सकता है। 21 दिसंबर 2022 को दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने जो 73 एफएमजी के ऊपर नामजद एफआइआर की है, उन्हें स्क्रीनिंग परीक्षा में फेल बताया गया है। यानी गड़बड़ी या तो परीक्षा बोर्ड या फिर राज्यों की मेडिकल काउंसिलों के स्तर पर हुई है और बीच में कोई तीसरा पक्ष भी घोटाले में शामिल है।

दिलचस्प यह है कि एफआइआर (संख्या आरसी2162022ए0013, जिसकी एक कॉपी आउटलुक के पास उपलब्ध है) में किसी भी कंसल्टेंट या एनबीई को आरोपित नहीं बनाया गया है। यहां तक कि जिन पंद्रह राज्यों की मेडिकल काउंसिल का जिक्र एफआइआर में है, उसमें भी कोई नामजद नहीं है बल्कि मुकदमा 'अज्ञात लोक सेवकों' के ऊपर है। ऐसे में, क्या घोटाले का ठीकरा सिर्फ विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों के सिर पर फोड़ा जा सकता है या इसके तार लंबे हैं?

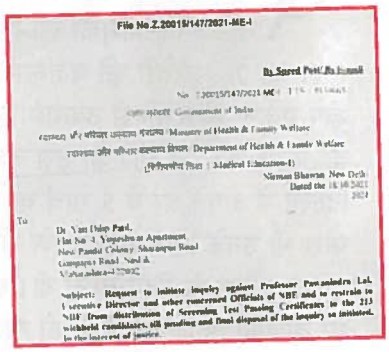

परीक्षा पर सवाल: एनबीई के कार्यकारी निदेशक के खिलाफ जांच की मांग

File No.Z.20015/147/2021-ME-I

By Speed Post/By E-mail

Government of India

Ministry of Health & Family Welfare

Department of Health & Family Welfare

(Medical Education-I)

Nirman Bhawan, New Delhi

To

Subject: Request to initiate inquiry against Professor Pawanindra Lal, Executive Director and other concerned Officials of NBE and to restrain to NBE from distribution of Screening Test Passing Certificates to the 213 withheld candidates, till pending and final disposal of the inquiry so initiated, in the interest of justice.

एफएमजी परीक्षा करवाने वाले बोर्ड एनबीई के दो कार्यकारी निदेशक अब तक भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए जा चुके हैं

एफआइआर दो, कहानी एक

आज से दस साल पहले मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, जो 2013 की पीएमटी की परीक्षा में बड़े पैमाने पर पहली बार उजागर हुआ और संगठित गिरोहों से लेकर नेताओं तक पर आंच आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 185 शिकायतें जांच के लिए 2015 में सीबीआइ को सौंप दी थीं। सीबीआइ ने वही किया जो उसको कहा गया। नतीजतन, करीब दो हजार शिकायतें स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के पास लंबित रह गईं। इन्हीं में से एक अदद शिकायत भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की थी, जिस पर आठ साल बाद बीते दिसंबर में एफआइआर दर्ज की गई और कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। इसी अवधि में सीबीआइ ने 73 एफएमजी और 14 राज्य मेडिकल काउंसिलों के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज की और तीन गिरफ्तारियां कीं। क्या यह महज संयोग है?

व्यापम घोटाले को सामने लाने वाले एक ह्विसिलब्लोअर डॉ. अजय दुबे 73 एफएमजी पर सीबीआइ की एफआइआर के संबंध में कहते हैं, "व्यापम कोविड की तरह एक ऐसा वायरस है

जो अपना जेनेटिक स्वरूप बदल रहा है। कोविड खत्म हो जाएगा उसी तरह व्यापम खत्म हो जाएगा, इस पर कोई भरोसा नहीं है। ये चलता रहेगा। जब खुलासा हुआ था 2013 में व्यापम का, तब व्यापम के जो परदे के पीछे बैठे जनक थे उन्होंने कोविड के वायरस की तरह चोला बदल लिया। देश में परीक्षा लेने वाली कोई भी एजेंसी हो, इन सारी संस्थाओं ने ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं किया कि लोग डरें। इसका मतलब कि व्यापम मॉडल अभी जिंदा है।"

एक समानता और है- व्यापम का नाम मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह बदल दिया उसी तरह केंद्र की भाजपा सरकार ने पुरानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) का नाम बदल कर नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) कर दिया है और अब वह एनबीई को भी बदलने जा रही है। इससे हालांकि फर्क कुछ नहीं आया है। कभी एमसीआइ और अब एनएमसी के अंतर्गत आने वाले एनबीई की परीक्षा प्रणाली के घपलों घोटालों के खिलाफ इतने सारे मुकदमे देश भर में दर्ज हैं और इतनी सारी चिट्ठी पत्री हो चुकी है कि उसे यहां समेटा नहीं जा सकता। प्राइवेट कॉलेज को एमसीआइ से मान्यता देने के बदले रिश्वत के मामले में 2001 में जब अध्यक्ष डॉ. केतन देसाई को हटाया गया था और बाद में उन्हें जेल हुई, तब पहली बार इस संस्था का भ्रष्टाचार सबके सामने आया था। इसके बावजूद 2016 में डॉ. देसाई मेडिकल एथिक्स की सबसे बड़ी वैश्विक संस्था वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। भारत में मेडिकल भ्रष्टाचार की इससे बड़ी विडम्बना और नहीं हो सकती थी।

केतन देसाई के एमसीआइ अध्यक्ष पद से हटने के बाद के दो वर्षों तक डॉ. दया ब्रजेश्वर दयाल मेडिकल परीक्षा बोर्ड के कंट्रोलर रहे। उन्होंने 2021 में एक किताब लिखी है जिसका नाम है 'टेकिंग द बुल बाइ द हॉर्न्स: मेडिकल बोर्ड ऑफ इग्जामिनेशंस'। भारत में मेडिकल परीक्षा प्रणाली की खामियों पर शायद यह इकलौती प्रामाणिक पुस्तक है जिसमें डॉ. दयाल ने अपने कार्यकाल के संस्मरण और अनुभवों को बाकायदे सरकारी कागजात और साक्ष्यों सहित दर्ज किया है।

केतन देसाई कांड के बाद बीते बीस साल के दौरान एमसीआइ, एनएमसी, एनबीई आदि मेडिकल संस्थानों की कहानी देखी जाए तो समझ आता है कि देश में फर्जी डिग्री बांटने, फर्जी कॉलेज को मान्यता देने और पंजीकरण करवाने का एक संगठित कारखाना चल रहा है। व्यापम के विसिलब्लोअर डॉ. आनंद राय मानते हैं कि ऐसे डॉक्टरों को दागी कहने के बजाय सरकारों को दागी कहा जाना चाहिए क्योंकि छात्र और उनके माता-पिता तो केवल ग्राहक हैं। वे कहते हैं, "अगर डिग्री बिकेगी तो खरीददार भी आएगा। असली दोषी बेचने वाला है।"

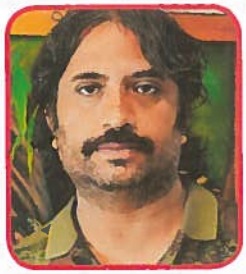

व्यापम एक ऐसा वायरस है जो हर दवा के बाद और इम्यून होकर रूप बदल लेता है

अजय दुबे
व्यापम के ह्विसिलब्लोअर

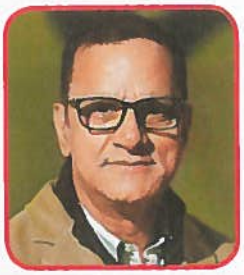

कंसल्टेंट आपदा में अवसर खोज रहे हैं और बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं

रवि कुमार कौल
एडमिशन परामर्शदाता

व्यापम में ताजा मुकदमा राजनीति से प्रेरित है, यह कभी खत्म नहीं होने वाला है

दीपक तिवारी
संपादक, जीआइजेएन

अब तक के सबसे संगीन और त्रासद परीक्षा घोटाले व्यापम में पचास से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन कोई इसका जिम्मेदार नहीं साबित हुआ। गनीमत यह है कि एनबीई और एनएमसी से त्रस्त मेडिकल के छात्रों के बीच अभी मौतें होना शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन अदालतों के माध्यम से संघर्ष करने वाले छात्र अब पस्त हो रहे हैं। इन्हीं में एक हैं हरियाणा के डॉ. जितेंद्र, जो बोकारो के एक अस्पताल में तीन साल की रेजिडेंसी पूरी करने के बाद मेडिकल की परास्नातक डिग्री डीएनबी (डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड) पाने के लिए दिल्ली में रह कर अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और दोबारा परीक्षा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें फेल कर दिया गया था। कारण पूछने पर उन्हें बताया गया कि 2021 की परीक्षा में (दिसंबर 2020 सत्र) उनका परचा बदल गया था (पेपर स्वैप) जिसके चलते वे फेल हो गए। जितेंद्र ने अगर आरटीआइ न लगाई होती, तो यह बात कभी सामने नहीं आती कि इस कथित 'तकनीकी त्रुटि' का शिकार अकेले वे ही नहीं, ऑर्थोपेडिक्स के कुल 48 छात्र डीएनबी में हुए थे।

यहां स्वाभाविक सवाल उठता है कि सीबीआइ ने जिन 73 एफएमजी छात्रों को 'फेल' बताकर नामजद किया है, उनमें कोई पास भी हो सकता था क्या? जितेंद्र कहते हैं, "कुछ भी हो सकता है। नीट और एनबीई की करवाई परीक्षाओं में पास या फेल होना अपने आप में रहस्य है।"

पास और फेल से इतर, सबसे बड़ा रहस्य उन मेडिकल छात्रों के परीक्षा नतीजों में छुपा है जिनका परिणाम 'विदहेल्ड' कर लिया जाता है यानी रोक लिया जाता है। रूस से स्नातक की डिग्री लेकर मुंबई उच्च न्यायालय में एनएमसी और एनबीई के खिलाफ 27 मुकदमे लड़ रहे डॉक्टर यति पाटील की मानें तो ऐसे कुल साढ़े छह हजार छात्र हैं जिनका परीक्षा परिणाम 'विदहेल्ड' है। पाटील कहते हैं, "इन्हीं रुके हुए नतीजों में पैसे कमाने की संभावनाएं छुपी होती हैं। उसी के हिसाब से पास को फेल या फेल को पास बनाया जा सकता है।"

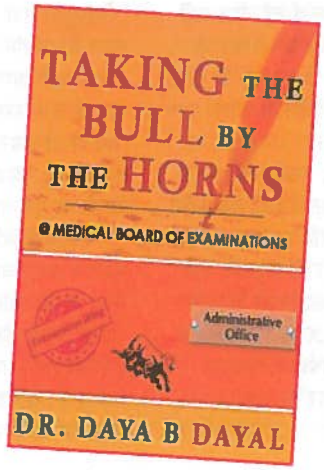

घोटालों का दस्तावेज : डॉक्टर दयाल की पुस्तक

आवरण कथा/आपबीती

आशीष चतुर्वेदी
ह्विसिलब्लोअर,
व्यापम घोटाला, ग्वालियर

मेरी मां को 2007-08 के दौरान कैंसर का पता चला था। ग्वालियर में एक कैंसर हॉस्पिटल है डॉ. बीआर श्रीवास्तव का, जिनके यहां हमने उनको दिखाया था। उन्होंने ऑपरेशन किया और बोले कि अब मां को घर ले जाओ क्योंकि ये बचेंगी नहीं जबकि पहले उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। हम मन मार के उन्हें ले आए। कुछ दिन बाद मम्मी घर के नियमित कामधाम में लग गईं और ऐसे ही सब चलता रहा। हमें आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर ने तो दस-पंद्रह दिन ही उनके बचने का कहा था लेकिन देखने में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, उलटे वे रिकवर हो रही थीं।

हमने कुछ और डॉक्टरों से सलाह ली। उनकी राय थी कि या तो ऑपरेशन गलत हुआ है या बीमारी गलत डायग्नोज हुई है। इसलिए हमें सेकंड ओपीनियन लेना चाहिए। बहुत दबाव के बाद हम लोग मुंबई में टाटा मेमोरियल गए। वहां के डॉक्टरों का कहना था कि ऑपरेशन गलत हुआ है। उनका कहना था कि इस कैंसर का ऑपरेशन ग्वालियर में संभव ही नहीं था। हमें तब जाकर सीधे-सीधे फ्रॉड समझ में आया। बहरहाल, इसके बाद टाटा में ऑपरेशन हुआ और मां तीन साल तक जिंदा रहीं। मेरी लड़ाई यहीं से शुरू हुई। बहुत बाद में जाकर मैंने मां का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर श्रीवास्तव और उनकी दोनों बेटियों के खिलाफ व्यापम घोटाले में एफआइआर करवाई। इस बीच की पूरी कहानी एक संयोग से शुरू हुई।

दरअसल, मैं ग्वालियर में आरएसएस की मेडिकल शाखा का काम देखता था। लौट कर आने पर मेडिकल के कुछ दोस्तों से बात हुई। उनका कहना था कि मेडिकल में कुछ अयोग्य लोग मौजूद हैं, लेकिन वे आते कैसे हैं यह उन्हें नहीं पता था। संयोग कहिए कि मेडिकल शाखा में मेरी मुलाकात एक मेडिकल छात्र से हुई जो 2009 बैच का सातवां टॉपर था। उसका नाम ब्रजेंद्र रघुवंशी था। उसके पिता देवेंद्र रघुवंशी आरएसएस में संगठन मंत्री थे और ये लोग विदिशा के रहने वाले हैं। मुझे लगता था कि टॉपर है तो तेज होगा ही, लेकिन वह पहले ही इम्तिहान में फेल हो गया। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद वह आरएसएस के प्रचारकों के पास दौड़ने लगा। उस समय नरोत्तम मिश्र के भाई आनंद मिश्र जीवाजी युनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हुआ करते थे। संघ के जिला प्रचारक थे खगेंद्र भार्गव। उन्होंने ब्रजेंद्र से कहा कि विस्तारक जी को लेकर आनंद मिश्र के पास चले जाना। विस्तारक जी मतलब मैं। और मुझे ही पता नहीं था कि मामला क्या है, मिलने क्यों जाना है। चूंकि ऊपर से कहा गया

भ्रष्ट 'तकनीक' की आड़

डॉ. जितेंद्र ने जब डीएनबी के फाइनल पेपर (दिसंबर 2020 सत्र) में स्वैपिंग घोटाले को उजागर किया, तब गाजियाबाद स्थित एसोसिएशन ऑफ डीएनबी डॉक्टर्स (एडीडी) ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, सीबीआइ, दिल्ली क्राइम ब्रांच और अन्य अधिकारियों को एक चिट्ठी (22 दिसंबर 2021) लिखी। यह संगठन दुनिया भर में करीब एक लाख डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसने लिखा कि ऑर्थोपेडिक्स के 48 छात्रों के पेपर स्वैप का मामला 'हिमखंड की सतह' भर है क्योंकि दूसरी विशेषज्ञ शाखाओं के परचों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी पत्र में लिखा गया था कि एनबीई में साइबर फ्रॉड कोई नई चीज नहीं है क्योंकि 2017 में नीट-पीजी की परीक्षा का जो घाटाला सामने आया था, उसमें भी एनबीई के परीक्षा तंत्र को हैक कर लिया गया था (दिल्ली क्राइम ब्रांच एफआइआर संख्या 13/2017)।

पत्र कहता है, "इसी के बाद एनबीई ने 10 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को परीक्षा देने से रोक दिया और उनके ऊपर हैकिंग का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच अब तक हो रही है, हालांकि इसी मामले में एनबीई के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक डॉ. बिपिन बत्रा को 16 अगस्त 2017 को निलंबित किया गया। इसके बाद आए कार्यकारी निदेशक डॉ. रश्मिकांत दवे को भी भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित किया गया।"

दवे के बाद एनबीई के कार्यकारी निदेशक बने डॉ. पवनिंदर लाल की कहानी और दिलचस्प है, जिनके कार्यकाल में पेपर स्वैप घोटाला हुआ। जितेंद्र बताते हैं कि आरटीआइ करने के बाद उन्हें किसी तरह पहली बार दिल्ली में डीएनबी के द्वारका स्थित दफ्तर में घुसने दिया गया। वहां उन्हें बताया गया कि उच्चस्तरीय बैठक चल रही है। जितेंद्र ने बताया, "बिलकुल उसी दिन पवनिंदर लाल ने इस्तीफा दे दिया। उसका कार्यकाल पांच साल का था और उसे केवल साल भर हुआ था, लेकिन बीच में ही उसने छोड़ दिया। ऐसे हाइ लेवेल इस्तीफे के बावजूद आज तक स्वैपिंग घोटाले की जिम्मेदारी किसी पर तय नहीं की गई है।"

एनएमसी और एनबीई के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे करने वालों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर मुंबई के डॉ. यति पाटील का नाम आता है। डॉ. पाटील ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स वेल्फेयर एसोसिएशन से जुड़े हैं जिसमें देश भर के डॉक्टर सदस्य हैं। वे बताते हैं कि पांच सत्र में साढ़े छह हजार मेडिकल छात्रों का परीक्षा परिणाम रोके

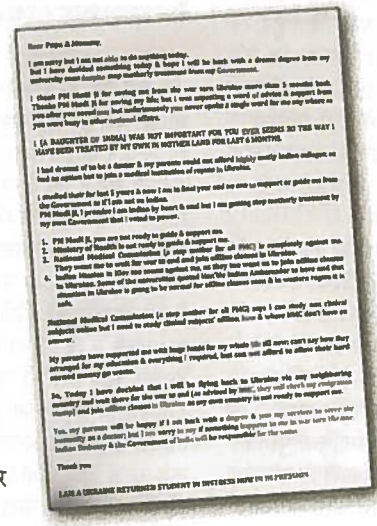

प्रवास का दर्द: मां-बाप को एक छात्र की चिट्ठी

रखा गया था और मुंबई उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है (28/07/2021)। इसमें भी एनबीई के कार्यकारी निदेशक रहे पवनिंदर लाल के खिलाफ जांच चल रही है, हालांकि उनके इस्तीफे के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिलहाल एनबीई का कोई निदेशक नहीं है। एम्स की डॉ. मीनू बाजपेयी मानद निदेशक हैं।

भ्रष्टाचार की तकनीक केवल कंप्यूटर और ऑनलाइन परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। दो दिलचस्प मुकदमे मेडिकल परास्नातक की फीस में जीएसटी शुल्क लगाने को लेकर भी दिल्ली और मुंबई में लंबित हैं जबकि शिक्षा शुल्क में जीएसटी लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे में पाया गया कि एनबीई ने करीब 51 करोड़ रुपये जीएसटी के मद में डीएनबी डॉक्टरों से वसूले थे। जब जीएसटी कार्यालय से इसकी बाबत पूछताछ की गई, तो जीएसटी आयुक्त ने हलफनामा देकर कहा कि यह पैसा आयोग के खाते में जमा नहीं हुआ है

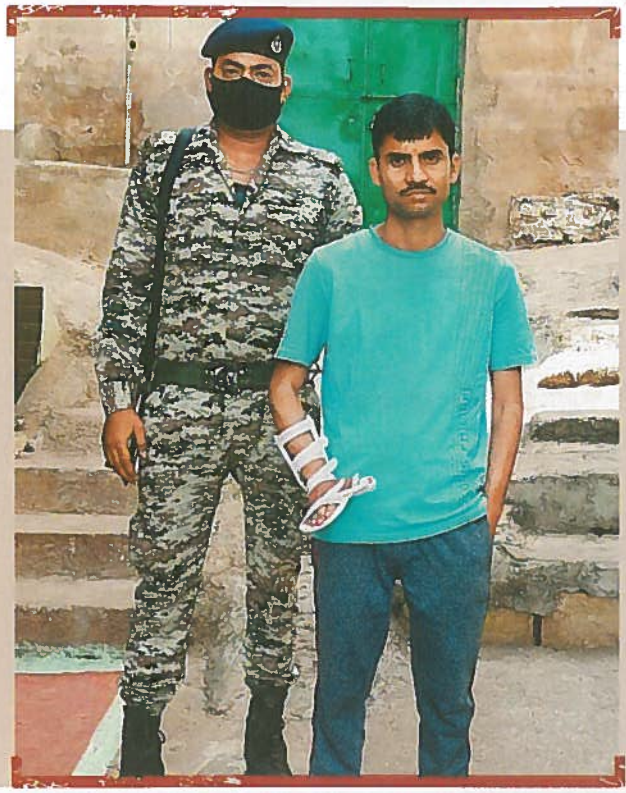

था तो मैं उसे लेकर चला गया। वो अंदर से मिलकर आया तो उसने बताया कि भाई साहब ने बोला है पुनर्मूल्यांकन में पास करवा देंगे। हुआ भी वही। तब धीरे-धीरे मुझे संदेह हुआ। फिर मैंने अनाम शिकायतें दर्ज करवानी शुरू कीं, कि मेडिकल में फर्जी मुन्नाभाई हैं। मैंने तो 2009 बैच की ही शिकायत की थी चूंकि उसके पहले का मुझे कुछ मालूम नहीं था। 2011 में एक जांच कमेटी मध्य प्रदेश शासन ने गठित की। इस कमेटी ने मध्य प्रदेश के 111 फर्जी छात्रों की पहचान की जिसमें ग्वालियर के 36 छात्र थे। इनमें ब्रजेंद्र रघुवंशी का नाम भी शामिल था।

उसके पिता ने उसे एक स्कीम बताई- अगर उसके जैसे और मुन्नाभाई निकल आए, अगर 111 के एक हजार हो जाते हैं, तो सरकार बहुमत के आगे झुक जाएगी। इसके लिए मेरी मदद से आरटीआइ लगवा के और फर्जी मुन्नाभाई निकलवाने को उन्होंने कहा। मैंने पूछा कि डरने की क्या जरूरत है, कोर्ट में केस करते हैं कि तुम्हारा नाम गलत आया है और बदनाम किया गया है। तब जाकर इसने पूरी कहानी बताई कि ऐसा नहीं था। उसका सेलेक्शन उसके पापा ने करवाया था। जब उसका पेपर हो रहा था, तब वह भोपाल के डीबी मॉल में बैठकर फिल्म देख रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ।

फिर उसने मुझे अपनी योजना बताई- मैं पीजी कर लूंगा, फिर हम

(सिविल रिट याचिका 10326/2021)। जीएसटी आयुक्त ने खुद कहा है कि इस शुल्क को लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। यह मुकदमा भी डीएनबी एसोसिएशन ने ही एनएमसी और अन्य के खिलाफ किया था। विदेश से ग्रेजुएट 73 डॉक्टरों और राज्य मेडिकल काउंसिलों के खिलाफ सीबीआइ की ताजा एफआइआर की असली कहानी इसी जीएसटी वाले मुकदमे से खुलती है।

73 की पहेली

डॉ. यति पाटील बताते हैं कि जब दिल्ली और मुंबई में तमाम मुकदमे एनबीई के खिलाफ दायर हुए, तो उसी दौरान अध्ययन करते हुए उन्हें यह बात पकड़ में आई कि एनबीई ने एफएमजी की परीक्षा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाकर करीब साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये और डीएनबी के परीक्षार्थियों से इसी दर पर करीब 51 करोड़ वसूले थे। इस सिलसिले में एक ही अवधि में दिल्ली और मुंबई दोनों जगह मुकदमे हुए।

वे बताते हैं, "मुंबई में कई मुकदमों के चक्कर में हम लोग जीएसटी वाले पर फोकस नहीं कर पाए लेकिन अभी यह मुकदमा दिल्ली में चल ही रहा है कि 51 करोड़ रुपया कहां गया। एनबीई को यहां ऐसा लगा कि यह मामला अब वित्तीय फर्जीवाड़े की ओर जा रहा है और उनके गले की हड्डी बन रहा है। तब अचानक एक दिन एनबीई की मानद निदेशक मीनू बाजपेयी ने स्वास्थ्य

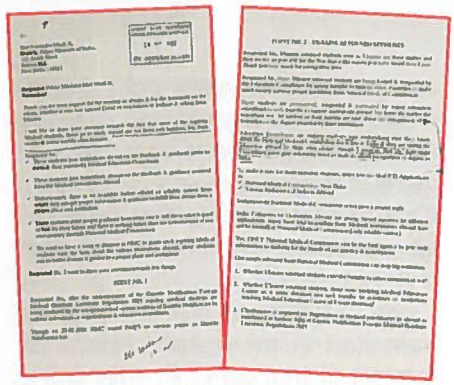

एफएमजी के हित: रवि कौल ने पीएम को लिखी चिट्ठी में कई चिंताएं गिनाईं थीं

मंत्रालय और सीबीआइ निदेशक दोनों को पत्र लिखा कि उन्हें ऐसे 73 प्रत्याशी पकड़ में आए हैं जो बिना पास हुए मेडिकल काउंसिलों में पंजीकृत हैं। एनबीई की मातृ संस्था एनएमसी है, तो कायदे से उन्हें एनएमसी से पहले पूछना चाहिए था। इसके बाद मंत्रालय को पत्र भेजना चाहिए था।"

पाटील पूछते हैं कि परीक्षा एनबीई लेता है, पास होने का प्रमाण पत्र भी वही देता है और उसके प्रमाणन के बिना राज्य की मेडिकल काउंसिल पंजीकरण नहीं कर सकती, फिर एनबीई कैसे कह सकता है कि उसकी इसमें कोई भूमिका नहीं है? वे पूछते हैं, "2004 के बंदे के खिलाफ आप 2022 में जांच कर रहे हो। अभी तक आप कहां थे? हमारी बात कुछ राज्यों के मेडिकल काउंसिल से हुई है। उनका कहना है कि हमने एनबीई के कहने पर ही पंजीकरण किया था।"

पाटील के मुताबिक एनबीई के ऊपर इतने सारे मुकदमों का बहुत दबाव था इसलिए उसने ठीकरा विदेश के ग्रेजुएट छात्रों के सिर पर फोड़ दिया। सीबीआइ ने तीन लोगों को इस मामले में पकड़ा है। वे कहते हैं कि सीबीआइ को हलफनामा देना चाहिए कि केवल 73 अभ्यर्थी ही फर्जी पंजीकृत हैं, "सच्चाई यह है कि मेरे पास खुद ऐसे चार छात्रों के मामले हैं जिनका जिक्र सीबीआइ की एफआइआर में नहीं है। हमने हर याचिका में इन चार छात्रों का केस लगाया है। जैसे, एक छात्र महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का है जिसके 12 अंक थे लेकिन उसे 174 अंक पासिंग सर्टिफिकेट में दिए गए हैं पर उसका नाम सीबीआइ की एफआइआर में कहीं नहीं है।"

पाटील कहते हैं कि 2002 के बाद से सभी अभ्यर्थियों की जांच होनी चाहिए क्योंकि एफएमजी का स्क्रीनिंग टेस्ट 2002 में ही सरकार ने लागू किया था। उनके मुताबिक "अभी जो 73 की सीबीआइ लिस्ट है, वह सेलेक्टिव है और एनबीई की फेस सेविंग के लिए है। यह मामला केवल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का नहीं है, समूची मेडिकल परीक्षा प्रणाली से जुड़ा है। स्वैप घोटाले में आज तक एक एफआइआर तक नहीं हो सकी। साफ है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय बचा रहा है। हमने पिछले 30 महीने में 535 नोटिसें एनबीई

लोग अस्पताल डालेंगे, आपके नाम से गरीब लोगों को लाएंगे, उनका फ्री इलाज दिखाएंगे और उनकी किडनी, लिवर निकाल के बेचेंगे। मेरे दिमाग में आया कि इसके साथ रह के सिस्टम को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक सिस्टम क्रैक नहीं होगा। उसको भी लगा कि इसकी मां बीमार है, इसको पैसे की जरूरत है और लोकल लड़का भी है, तो साथ ले लो। फिर इसने मुझसे कई आरटीआइ लगवाई जिससे और भी फर्जी मुन्नाभाई लोग सामने आए। इसके पीठ पीछे मैं लगातार शिकायतें भी दर्ज करवा रहा था। इसको कुछ पता नहीं था। इसके बाद 2011 में पीएमटी के दौरान मैं पूरे फर्जीवाड़े का गवाह बना। निजी कॉलेजों में सीट बेचने का पूरा फर्जीवाड़ा मेरे सामने हुआ। इसके खिलाफ पहली एफआइआर मैंने ही करवाई। अक्टूबर आते-आते इन लोगों को आखिर पता लग ही गया कि मैं ही शिकायत करवा रहा हूं।

उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह धमकाया। मैं थाने पहुंचा, तो उलटा मुझे ही धमका कर वापस भेज दिया गया और एफआइआर नहीं ली गई। चार दिन बाद इन्होंने मुझे एक ट्रैप में फंसाकर मेडिकल कॉलेज बुलाया और हॉस्टल में ले जाकर रूम नंबर 16 में बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की और दबाव में कागज पर अंगूठे के निशान लगवाए। इस बीच एक लड़की के सहारे उन्होंने मुझे फंसाने की भी कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं बच गया। मैं एकदम मरने की स्थिति में आ गया था। एक भला लड़का था उसी हॉस्टल में, उसने मेरे परिचित एक सीनियर को कॉल कर के सारी स्थिति बतला दी। उन्होंने जब लड़कों को धमकाया, तो मुझे सड़क किनारे ले जाकर फेंक दिया गया। मैं ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुआ। वहां भी जान से मारने की धमकी मिली। फिर अदालत में भी इनके वकीलों ने मुझे धमकी दी, लेकिन मेरी लड़ाई चलती रही।

मैं व्यापम घोटाले में इकलौता आदमी हूं जिसकी सरकार और पुलिस ने पूरे एक साल तक कैमरे से रिकॉर्डिंग की। मेरे साथ सुरक्षा के लिए एक पुलिसवाला रहता है। सरकार ने उसके साथ एक कैमरामैन को तैनात कर दिया था। मेरे खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। उसके बाद निगरानी शुरू

को भेजी हैं लेकिन आज तक एक भी जवाब नहीं आया। उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। किसी को कोई मतलब नहीं है।"

मौन संघर्ष के मोर्चे

चुप्पी की इस राजनीति का सबसे ताजा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ लाए गए नवीनतम प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत के रुख में दिखा। भारत यहां भी 'अनुपस्थित' रहा। इस कदम पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जो स्पष्टीकरण दिया, उसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की चिंता का हवाला दिया। वंशिका के पिता को इस बात का दुख है कि सरकार उनकी बच्ची को खारकीव से निकालने के लिए समय पर नहीं पहुंची लेकिन हवाई जहाज पर बैठने के बाद नारे जरूर लगवाए गए। नारे लगाने में भला क्या समस्या हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये नारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में काम ही आएं। व्यापम घोटाले के सबसे युवा ह्विसिलब्लोअर आशीष चतुर्वेदी इसका जीता-जागता उदाहरण हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तारक होने के बावजूद आशीष चतुर्वेदी को उसके दफ्तर में घुसने से रोक दिया गया और एफआइआर तक करवा दी गई।

आउटलुक से बातचीत में आशीष कहते हैं, "1925 से लेकर अब तक के इतिहास में पहली बार किसी संघ कार्यकर्ता के संघ कार्यालय में घुसने पर मुकदमा करवाया गया जबकि उससे पहले दिल्ली में बाकायदे राकेश सिन्हा और मोनिका अरोड़ा ने मुझे भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सम्मानित किया था।"

साल भर से बीमार चल रहे आशीष अब भी व्यापम घोटाले की जांच को उसकी तार्किक परिणति पर पहुंचाने की कसम खाए हुए हैं। आशीष बताते हैं कि दिल्ली में उन्हें सम्मानित करने के दौरान कुछ नेताओं का नाम लेने से मना किया गया था। वे कहते हैं, "लेकिन मैंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज भी कायदे से जांच हो तो सब लपेटे में आएंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं लड़ता रहूंगा।"

ऐसा ही एक मौन संघर्ष रवि कौल का है। वे एक ऐसे एडमिशन सलाहकार हैं जिन्होंने पिछले एक साल में एक भी छात्र को पढ़ने के लिए विदेश नहीं भेजा है। वे कहते हैं कि बाकी कंसल्टेंट यूक्रेन की 'आपदा में अवसर' तलाश रहे हैं लेकिन वे लगातार बच्चों के कैरियर की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री और विदेशों में भारतीय दूतावासों को चिट्ठियां लिख के सरकार को जगा रहे हैं।

दूतावास की गफलत: ताजिकिस्तान की एम्बेसी की छात्रों को भ्रामक एडवायजरी

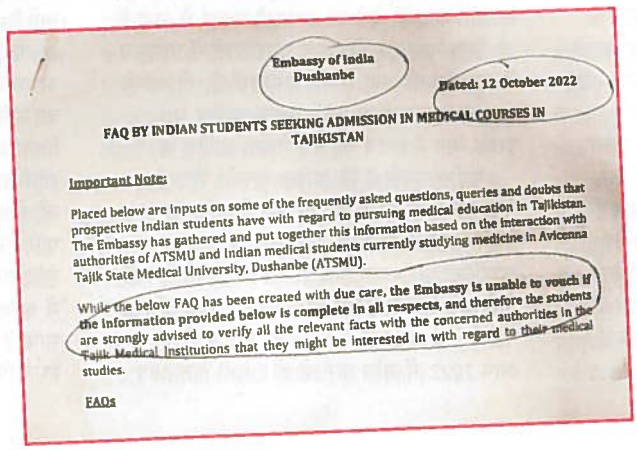

Embassy of India
Dushanbe

Dated: 12 October 2022

FAQ BY INDIAN STUDENTS SEEKING ADMISSION IN MEDICAL COURSES IN TAJIKISTAN

Important Note:

Placed below are inputs on some of the frequently asked questions, queries and doubts that prospective Indian students have with regard to pursuing medical education in Tajikistan. The Embassy has gathered and put together this information based on the interaction with authorities of ATSMU and Indian medical students currently studying medicine in Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe (ATSMU).

While the below FAQ has been created with due care, the Embassy is unable to vouch if the information provided below is complete in all respects, and therefore the students are strongly advised to verify all the relevant facts with the concerned authorities in the Tajik Medical Institutions that they might be interested in with regard to their medical studies.

FAQs

उदाहरण के लिए, वे 12 अक्टूबर 2022 को ताजिकिस्तान में भारत के दूतावास से जारी एक एडवायजरी दिखाते हैं जो वहां मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले भारतीय छात्रों के हित है। वे रेखांकित कर के दिखाते हैं कि एडवायजरी के दूसरे ही पैरा में लिखा है, "नीचे दी गई सूचना के पूरी तरह से सही होने का दावा दूतावास नहीं करता।' वे पूछते हैं, 'फिर इसका क्या मतलब है? एम्बेसी को ही पता नहीं कि क्या सलाह छात्रों को देनी है।"

पिछले साल 7 जुलाई को उन्होंने

हुई। मैंने जब इसकी वैधता पर सवाल उठाए तब कहा गया कि मैं साइकिल से चलते-चलते गायब हो जाता हूं और कैमरे में कैद नहीं हो पाता हूं। उन्होंने मुझे आदमी ही नहीं छोड़ा। अखबार ने मुझे मिस्टर इंडिया लिख दिया। जब खबर मीडिया में आई तो सारे अधिकारियों ने इनकार कर दिया कि किसी ने ऐसा आदेश दिया था। फिर मैं अदालत गया। अदालत ने अगली तारीख पर कैमरा मंगवाया, तो कैमरा गायब हो गया। आज तक मेरी शिकायत लंबित है। उस समय मध्य प्रदेश के एडीशनल एडवोकेट जनरल थे एमपीएस रघुवंशी। उन पर भी मेरे आरोप थे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम रोड पर चलते हो, रोड पर एक्सिडेंट बहुत होते हैं, संभल कर चलना। इनके खिलाफ भी मेरी शिकायत लंबित है। आप इतने बड़े वकील हो। अगर मेरे आरोप गलत थे तो मेरे खिलाफ एक्शन ले लेते।

मुझे आज भी सुरक्षा मिली हुई है, इसके बावजूद मेरे ऊपर कुल 19 बार हमले हुए हैं। सिक्योरिटी होते हुए भी 13-14 बार हमले हुए। सारी घटनाएं मैंने रिपोर्ट करवाईं। अभी तो मेरे पिताजी पर भी हमला हो गया। वे स्कूटी से ऑफिस जा रहे थे। कोई मार के निकल गया। पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पाई। पिछले एक साल से मैं बीमार चल रहा हूं इसलिए हमले तो नहीं हुए लेकिन बीमारी से मरते-मरते बचा। मेरे दोनों हाथ और फेफड़ों का ऑपरेशन हुआ था। अभी भी मेरा इलाज चल ही रहा है। असल में पिछले साल 25 अप्रैल को मैं बीमार हुआ। पहले वायरल हुआ, फिर पेट में, फेफड़ों में इनफेक्शन हुआ। हार्ट में पानी भर गया। हालत जब ज्यादा बिगड़ गई, वेंटिलेटर पर आ गया, तब परिवार के लोगों ने 15 अगस्त को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं ऑपरेशन हुआ। मेरा दायां हाथ तो इतना ज्यादा इनफेक्टेड हो गया था कि काटने की नौबत आ गई थी। उसका पांच बार ऑपरेशन हुआ था।

मैं व्यापम घोटाले में इकलौता आदमी हूं जिसकी सरकार ने पूरे एक साल तक कैमरे से रिकॉर्डिंग की

ये लड़ाई मैंने जब शुरू की थी तब 19 साल का था। आज 33 साल का हो चुका हूं। आज भी व्यापम में सौ से ज्यादा शिकायतें ऐसी हैं जिन्हें छुआ नहीं गया और पचास से ज्यादा ऐसी शिकायतें हैं जिनमें जांच पूरी हो चुकी है लेकिन एफआइआर दर्ज होना बाकी है। इनमें दस-पंद्रह तो मेरी ही होंगी। खुद एडीजी एसटीएफ सुधीर कुमार शाही ने टिप्पणी की है कि मेरे द्वारा लगाए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। इसके बाद कौन सी जांच बच जाती है?

व्यापम की लड़ाई अकेले आशीष चतुर्वेदी या आनंद राय की लड़ाई नहीं है। मेरी जमीन किसी ने नहीं ले ली। यह मध्य प्रदेश के हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसका परिवार इससे प्रभावित है। जो भी कहता है कि व्यापम की लड़ाई खत्म हो गई है, समझो उसका मोरल खत्म हो चुका है।

(**आदित्य सिंह** से बातचीत पर आधारित)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लंबा पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने विदेश पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों के प्रति आम धारणा को चुनौती देते हुए विनम्रता के साथ बताया था कि ऐसे बच्चे ज्यादातर निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से होते हैं। इस पत्र में वे एनएमसी के अधिनियमों की भाषा का सवाल उठाते हैं। खासकर यूक्रेन से लौटे छात्रों के संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था कि कंसल्टेंट और एजेंट एनएमसी के अधिनियमों और शर्तों की अपनी व्याख्या कर के छात्रों को भटकाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विदेश मंत्री को लिखी दर्जनों चिट्ठियों में कौल ने एफएमजीएल नियमन की धारा 4(बी) की एकाधिक व्याख्याओं और दुरुपयोग के बारे में बार-बार सवाल उठाए हैं और छात्रों के कल्याण की सिफारिश की है।

वे इस बात से दुखी हैं कि उनकी आरटीआइ और पत्रों का जवाब नहीं आता, फिर भी वे चुपचाप लगे हुए हैं। आजकल वे एक और लंबी चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम तैयार कर रहे हैं। वे कहते हैं, "मैं यह सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बच्चे मेरे अपने हैं।"

भविष्य पर सवाल

राजनीतिक संरक्षण के कारण भ्रष्ट हो चुके परीक्षा तंत्र में भविष्य की चिंता सबको है। डॉ. जितेंद्र पूछते हैं कि जो देश कायदे से परीक्षाएं नहीं करवा सकता वो सुपरपावर कैसे बन पाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति को बेहद करीब से समझने वाले पत्रकार और ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क के भारत में संपादक दीपक तिवारी कहते हैं, "जब तक परीक्षाएं होती रहेंगी व्यापम रहेगा। व्यापम हमारे सिस्टम में समा चुका है और वह रह-रह कर उठता रहेगा।" व्यापम में आठ साल बाद हुई अप्रत्याशित एफआइआर को तिवारी राजनीति से प्रेरित बताते हैं, "जो एफआइआर दिग्विजय सिंह की शिकायत पर हुई है वह भाजपा की अंदरूनी लड़ाई के कारण है।"

इस बीच यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा और विदेश में मेडिकल पढ़ रहे छात्रों का मसला लगातार गहराता जा रहा है। कंसल्टेंट और एजेंटों ने जिन बच्चों को मोबिलिटी के नाम पर यूक्रेन से जॉर्जिया भेज दिया है, उनके नाम अब तक उनकी युनिवर्सिटी की सूची में नहीं आए हैं। उनका पूरा एक साल खतरे में पड़ गया है लेकिन कंसल्टेंट प्रति विषय उनसे भारी रकम लेकर उनका साल बचाने का प्रलोभन दे रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि पूरे प्रसंग में इन कंसल्टेंटों की भूमिका पर रवि कौल के अलावा भारत में कोई बात नहीं कर रहा और पैसे कमाने की लालच में हर अगला छात्र खुद कंसल्टेंट बन जा रहा है।

डॉ. यति पटेल कहते हैं, "व्यापम तो हजार बारह सौ लोगों का था। कायदे से जांच हो तो विदेश के मेडिकल ग्रेजुएट का घोटाला व्यापम से कहीं बड़ा निकलेगा।"

इस सब के बीच वंशिका जैसे मेधावी छात्रों की चिंताएं अलग हैं। फिलहाल वंशिका एमबीबीएस के आखिरी वर्ष में हैं और जंग के कारण खारकीव की जगह यूक्रेन के इवानो शहर में पढ़ रही हैं जहां उनके विश्वविद्यालय ने किराये पर एक परिसर ले रखा है। अगर सब कुछ सही रहा तो वे मई में भारत वापस आ जाएंगी। इस सिस्टम से उनकी असली लड़ाई तब शुरू होगी। हो सकता है वह रूस-यूक्रेन के दुस्वप्न से भी भयावह निकले। अगले सत्र से एनबीई की जगह नई परीक्षा एजेंसी प्रभाव में आ चुकी होगी और पंजीकरण के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की जगह दो चरणों का एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) लागू हो चुका होगा। एनएमसी के नए नियमों के अनुसार इन दो चरणों के नेक्स्ट टेस्ट को अगर बचे हुए तीन साल में नहीं निकाला गया तो पूरे दस साल की पढ़ाई बेकार चली जाएगी। इस खतरे से 2024 में भारत के करीब बीस हजार विदेशी ग्रेजुएट दो-चार होंगे। देश के भीतर यह संख्या लाखों में होगी।

डॉ. पटेल मानते हैं कि मेडिकल काउंसिल और उसकी परीक्षा प्रणाली में इतनी तेजी से किए जा रहे तमाम बदलाव छात्रों के लिए कतई नहीं हैं। इससे बस सरकारों के पुराने पाप धुल जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा।

-साथ में इंदौर से **आदित्य सिंह**

आवरण कथा/मेडिकल घोटाला

बड़े मकड़जाल का छोटा हिस्सा

विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों को बिना अनिवार्य एफएमजीई टेस्ट पास किए ही राज्य मेडिकल काउंसिलों से प्रैक्टिस करने का रजिस्ट्रेशन मिला, सीबीआइ की एफआइआर में बिहार में ऐसे सबसे ज्यादा 19 नाम

पटना से **संजय उपाध्याय**

एमबीबीएस की डिग्री विदेश से लेकर आए 73 डॉक्टर देश में अनिवार्य टेस्ट पास किए बिना ही विभिन्न राज्यों के मेडिकल काउंसिल के सर्टिफिकेट के आधार पर विभिन्न अस्पतालों या निजी क्लीनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के हालिया एफआइआर में आरोप है। उनमें बिहार के ही 19 डॉक्टर हैं। आश्चर्य है कि ये सभी अनिवार्य स्क्रीनिंग परीक्षा में तो फेल हो गए, मगर बिहार मेडिकल काउंसिल समेत विभिन्न राज्यों की काउंसिल से रजिस्ट्रेशन पाने में कामयाब हो गए। जानकारी के मुताबिक, पूरे देश में अनिवार्य स्क्रीनिंग परीक्षा में फेल हुए 73 डॉक्टरों के खिलाफ सीबीआइ ने 21 दिसंबर 2022 को एफआइआर दर्ज की है जिनमें सबसे अधिक 19 मामले बिहार के हैं (एफआइआर की प्रति *आउटलुक* के पास उपलब्ध है)। नाम न छापने की शर्त पर जांच से जुड़े एक सीबीआइ अधिकारी ने आश्चर्य के साथ बताया कि बिहार की मेडिकल काउंसिल ने नियम के विरुद्ध दूसरे राज्यों में भी फेल हुए छात्रों को यहां प्रैक्टिस की अनुमति दे दी है।

वर्तमान मानदंडों के अनुसार किसी विदेशी मेडिकल स्नातक (एफएमजी) को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) अथवा राज्यों की चिकित्सा परिषदों के साथ स्थायी पंजीकरण प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) द्वारा आयोजित एफएमजीई स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करना अनिवार्य है।

बीते दिसंबर में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा सीधे भेजे गए एक पत्र के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने 14 राज्यों की मेडिकल काउंसिल और 73 एफएमजी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। इस सिलसिले में सीबीआइ ने विभिन्न जगहों पर छापे मारे और

शुरुआती जांच के आधार पर ऐसे तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनके ऊपर मेडिकल काउंसिलों से साठगांठ करके फर्जी पंजीकरण करवाने के आरोप हैं। सूत्रों की मानें तो सीबीआइ ने छापे के अलावा कुछ डॉक्टरों को भी उठाया है जिनके नाम एफआइआर में मौजूद हैं।

इस संबंध में लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश कुमार भट्ट कहते हैं कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का यहां पंजीकरण होना बताता है कि बिहार में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने बिहार मेडिकल काउंसिल के सदस्यों और अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की है। वे कहते हैं कि यहां व्यापक रूप से पिछले रिकार्ड की भी जांच होनी चाहिए। सीबीआइ ने बिहार मेडिकल काउंसिल पर भी प्राथमिकी दर्ज की है, लेकिन एफआइआर में दर्ज 14 राज्यों की मेडिकल काउंसिल से किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इस जांच टीम से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इसमें कई बड़ी मछलियां शामिल हैं। खुद को पाक-साफ बताते हुए डॉक्टरों ने राजनीतिक हस्तियों तक अपनी साख बना ली है। जांच एजेंसी खुद हैरान है कि ये डॉक्टर विदेशों में पढ़कर आए हैं तो यहां एमसीआइ की परीक्षा में फेल कैसे हो गए। सवाल है कि क्या उनकी पढ़ाई में कोई खोट है या फिर यहां परीक्षा का तरीका ही कुछ कठिन है? और फिर उन्हें पंजीकरण हासिल कैसे हो गया? मामला सिर्फ एकाध नहीं, बल्कि 14 राज्यों का है। राज्य ही नहीं, यह मामला केंद्रीय प्राधिकरण से भी जुड़ा है।

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआइ को एफएमजीई परीक्षा के फर्जी प्रमाणपत्र सहित कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। रूस, यूक्रेन, चीन, फिलीपींस, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के मेडिकल स्नातकों को एफएमजीई पास करने के बाद ही भारत में

बिहार मेडिकल काउंसिल: सीबीआइ के लपेटे में आ सकते हैं कई अफसर

माना जा रहा है कि एक बड़ा सिंडिकेट देश में सक्रिय है, जिसमें कई अधिकारी सहित डॉक्टर भी शामिल हैं। एजेंसी साक्ष्यों को खंगाल रही है

प्रैक्टिस की अनुमति दी जाती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्टेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के एमबीबीएस स्नातकों को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। हाल के दौर में रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर बिहार के छात्रों का रुख नेपाल हो गया है। नेपाल में कई मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं जिनमें कथित तौर पर पूंजी निवेश अपने देश के नव-धनाढ्यों का भी है।

सूत्रों के मुताबिक सीबीआइ ने बिहार मेडिकल काउंसिल के खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस संबंध में पटना के राजेन्द्र नगर स्थित स्टेट मेडिकल काउंसिल के पदाधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं है पर कई राडार पर हैं। जानकारी के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर बिहार में करोड़ों की ठगी का भी शक है। सीबीआइ 2022 में हुई ठगी की पड़ताल करने की प्रक्रिया में जुट गई है। देशव्यापी छापेमारी को लेकर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने एफएमजीई की प्रस्तावित 2022-23 परीक्षा के बारे में अपनी वेबसाइट पर अलर्ट जारी किया है और छात्रों को आगाह किया है कि वे किसी प्रकार के झांसे में न आएं।

सीबीआइ के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एक बड़ा सिंडिकेट समूचे देश में सक्रिय है, जिसमें कई अधिकारी सहित डॉक्टर भी शामिल हैं। एजेंसी साक्ष्यों को खंगाल रही है। यही सिंडिकेट छात्रों से भारी रकम वसूल कर विदेशों तक उन्हें भेजता है और ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल होने वालों को भी पंजीकरण मुहैया करा देता है। यही नहीं, अस्पतालों में नौकरी तक की व्यवस्था भी करा देता है।

बिहार में इस मामले में पटना, दरभंगा, भागलपुर, चंपारण, हाजीपुर, बेगुसराय, नालंदा वैशाली तथा मुंगेर में छापे डाले गए। पटना स्थित मेडिकल काउंसिल कार्यालय और इसमें कार्यरत कुछ कर्मियों के यहां भी रेड हुई। मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर सहजानंद कहते हैं कि इस तरह का कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। वे कहते हैं कि सीबीआइ की जांच की रिपोर्ट तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जबकि सूत्रों का कहना है कि सीबीआइ की यूनिट अभी भी पटना में इसी जांच के लिए कैंप कर रही है।

इस संवाददाता से सीबीआइ के अधिकारियों ने आशंका व्यक्त की कि राज्य में अनिवार्य स्क्रीनिंग टेस्ट पास न कर पाने लेकिन रजिस्ट्रेशन पा जाने वाले डॉक्टरों की संख्या अधिक हो सकती है। जांच जारी है और उसके लपेटे में कई अधिकारियों की कलई खुल सकती है। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि यह छोटा मामला है, अभी इसकी परतें और खुल सकती हैं। जांच हो तो शायद इस सिलसिले की कड़ी काफी लंबी दिखेगी। एफआइआर में जो 73 मामले दर्ज हैं, उनकी अवधि 2011 तक जाती है यानी करीब 15 साल के दौरान विदेश से पढ़े मेडिकल स्नातक इस लपेटे में हैं।

इस छापेमारी के बाद डॉक्टरों के बीच हड़कंप तो जरूर मच गया है। देखना यह है कि सिर्फ डॉक्टरों पर ही गाज गिरती है या उन स्रोतों का भी खुलासा हो पाता है जो इस पूरे घपले के केंद्र में हो सकते हैं। वजह यह है कि जांच जैसे बढ़ रही है, दायरा बड़ा होता दिख रहा है।

भ्रष्टाचार है 'न्यू नार्मल'

चिकित्सा शिक्षा एवं उपचार का पवित्र पेशा पूंजी और निजी क्षेत्र के गठजोड़ से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा

डॉ. ए.के. अरुण

भारत में चिकित्सा शास्त्र और व्यवसाय की नियामक संस्था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) शुरू से ही विवादों में रही है। समय-समय पर इसे विभिन्न संस्थाओं की फटकार भी झेलनी पड़ी है। 2016 में संसद की स्थाई समिति ने एमसीआइ की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए खिंचाई भी की थी और इसकी संरचना तथा संविधान में आमूल-चूल परिवर्तन की सिफारिश कर दी थी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली इस संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में एमसीआइ में भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी, मेडिकल कॉलेजों की मान्यता देने में व्यापक भ्रष्टाचार आदि पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। समिति ने माना था कि एमसीआइ में ज्यादातर दलाल किस्म के चिकित्सकों का दबदबा रहता है और यह गिरोह मिलजुल कर मेडिकल कालेजों की मान्यता तथा चिकित्सकों के निबंधन आदि मामले में अनैतिक तरीके से कार्य करता है। इस क्रियाकलाप में करोड़ों रुपये की रिश्वत एवं राजनीतिक फायदे का खुला खेल चलता है। समिति ने संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सिफारिश भी की थी कि एक व्यापक सुधार के बिना देश में चिकित्सा शिक्षा एवं व्यवसाय की प्रतिष्ठा स्थापित नहीं की जा सकती।

एमसीआइ की जगह अब नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने ले ली है। मौजूदा सरकार ने एक कानून बनाकर 25 सितंबर 2020 को एनएमसी को एमसीआइ की जगह स्थापित कर दिया है लेकिन बीते ढाई वर्षों में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय तथा चिकित्सकों के व्यवहार में जरा सा भी बदलाव नहीं दिखा है। जन स्वास्थ्य पर काम करने वाले जन संगठन एवं कार्यकर्ता इसे सरकार की 'नाम बदल योजना' का ही हिस्सा मानते हैं। भारत में कुल 643 मेडिकल कालेज (एलोपैथी) हैं, जिसमें हर साल 97093 छात्रों का दाखिला होता है। इसमें लगभग आधे कॉलेज (320) ही सरकारी हैं। इन कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया कहने को तो नेशनल इलिजिबिलिटी एंट्रेंस (एनईईटी) के माध्यम से होती है लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों में लाखों रुपये देकर एडमिशन कराना आज आम बात है। एक अनुमान के अनुसार यह धंधा सालाना कोई 9 अरब रुपये का है। समझा जा सकता है कि भारत में चिकित्सा शिक्षा एवं इलाज व्यवस्था का निजीकरण आम आदमी के उपचार पर क्या असर डालता होगा?

आज की एनएमसी और तब की एमसीआइ के विवादास्पद पहलुओं को समझने के लिए 2002 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गौर करना होगा। चिकित्सा शिक्षा के नियमन के लिए बनी इस संस्था में विवादों के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की धारा 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व प्रधान न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा इसलिए करना पड़ा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संसदीय स्थाई समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। उल्लेखनीय है कि संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय को भ्रष्टाचार के कारण 'अपने निचले स्तर पर' माना था। स्पष्ट है कि चिकित्सा शिक्षा एवं व्यवसाय में भ्रष्टाचार का मामला बहुत ही चर्चित एवं चिंताजनक था। निजी पूंजी के सहारे राजनीतिक मदद और संरक्षण में कुकुरमुत्ते की तरह देश में मेडिकल कॉलेज खुलते रहे और अकूत मुनाफे के लिए गुणवत्ता व जरूरी अहर्ताओं को ताक पर रखकर चिकित्सा शिक्षा का धंधा फलता-फूलता रहा। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति आम थी और उसकी भेंट चढ़ रहे ये देश के निरीह और गरीब लोग, जो निजी अस्पतालों में इलाज कराने की हैसियत नहीं रखते थे।

एमसीआइ (अब एनएमसी) के भ्रष्टाचार की कहानी में तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. केतन देसाई की कहानी को जानना जरूरी है। सन 2013 में सीबीआइ ने डॉ. देसाई को इसलिए गिरफ्तार किया था कि वे दो करोड़ की रिश्वत के बदले पंजाब में एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे रहे थे। इस धंधे में डॉ. देसाई के साथ अन्य लोगों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए सीबीआइ ने जाल बिछाकर कई लोगों को गिरफ्तार किया था। डॉ. केतन देसाई मूलत: यूरोलॉजिस्ट हैं और अहमदाबाद से एमसीआइ का चुनाव जीत कर सन 2001 में काउंसिल के अध्यक्ष बने थे। इसके पहले वे सन 1990 में गुजरात मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष थे। उनके भ्रष्टाचार का अनुमान लगाने के लिए आप यह तथ्य ध्यान में रख सकते हैं कि उनके पास से सीबाआइ ने डेढ़ किलो सोना तथा 80 किलो चांदी और करोड़ों रुपये नकद बरामद किए थे। एमसीआइ के इतिहास में डॉ. देसाई भ्रष्टतम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं।

चिकित्सा जगत की महत्वपूर्ण और चर्चित पत्रिका लैंसेट के एडिटर इन चीफ डॉ. रिचर्ड हार्टन ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देने के बाद वहां की स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता जाहिर की थी। लैंसेट ने माना था कि भारत में चिकित्सा संगठन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तथा इलाज में भेदभाव करते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि तमाम चिकित्सा संगठन भ्रष्ट राजनीति का शिकार हैं और दवा कंपनियों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। डॉ. केतन देसाई की गिरफ्तारी की खबर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी प्रकाशित

चिकित्सा संगठन भ्रष्ट राजनीति का शिकार हैं और दवा कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते हैं

हुई थी। यहां यह बात भी गौर करने लायक है कि जब छत्तीसगढ़ के मशहूर डॉक्टर एक्टिविस्ट डॉ. विनायक सेन को नक्सली बताकर सरकार ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था तब किसी मेडिकल एसोसिएशन या काउंसिल ने कोई पहलकदमी नहीं दिखाई थी। उल्टे मेडिकल संगठनों और इससे जुड़े व्यक्तियों का यह तर्क था कि डॉक्टर को राजनीतिक विचारधारा से दूर रहना चाहिए, हालांकि चिकित्सा से जुड़े जागरूक लोग जानते हैं कि लैंसेट स्वास्थ्य क्रांति और स्वास्थ्य से जुड़ी राजनीति पर अक्सर टिप्पणी करता है।

मेडिकल काउंसिल एवं देश में अन्य चिकित्सा संगठनों के भ्रष्टाचार को लेकर जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का संगठन सपोर्ट फॉर एडवोकेसी ऐंड ट्रेनिंग टु हेल्थ इनिशिएटिव (साथी) ने देश के कोई 78 चिकित्सकों की मदद से 'वॉयस ऑफ कॉन्शियस फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन' नामक रिपोर्ट में डॉक्टरों और उनके पेशे में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया है। रिपोर्ट में बेबाकी से बताया गया है कि डॉक्टरी पेशे में कैसे मरीज को 'मेमना' 'वध', लोगों के कम बीमार पड़ने को 'अभी मौसम सुस्त है' जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इससे डॉक्टरी धंधे की असलियत सामने आती है। चिकित्सा व्यवस्था में व्याप्त धंधा और अनैतिकता के गठजोड़ पर मैंने ही सन 1990 से 2000 तक दर्जनों लेख राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में लिखे थे, जिस पर चिकित्सा संगठनों ने मुझे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से बुरा भला कहा था। चिकित्सा संगठनों की शह पर फैले चिकित्सीय भ्रष्टाचार ने बेशर्मी की हदें पार करके इस 'पवित्र पेशे' को घिनौना बना दिया है। समझा जा सकता है कि अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी चिकित्सा व्यवस्था से हम किस तरह के सेवा और सदकार्य की उम्मीद कर सकते हैं?

इस विषय पर चर्चा करते समय मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहे हैं कि भारत में चिकित्सा शिक्षा के इतने बड़े अवसर के बावजूद बड़े पैमाने पर छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश क्यों जाते हैं? कारण साफ है कि सालाना लगभग एक लाख मेडिकल की सीटों के लिए 16 से 20 लाख छात्र एंट्रेस परीक्षा में शामिल होते हैं और यहां के निजी मेडिकल कॉलेजों में औसतन 10 से 15 लाख रुपये सालाना फीस ली जाती है। यदि सरकारी मेडिकल कॉलेज में ली जाने वाले फीस की रकम देखें तो सालाना दो से तीन लाख रुपये में सामान्य मध्यम वर्ग के छात्र मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन कॉलेजों में प्रवेश मुश्किल है क्योंकि यहां कड़ी प्रतियोगिता है। ऐसे में लगभग 5-10 लाख रुपये सालाना खर्च कर विदेशों में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करना छात्रों के लिए बेहतर विकल्प होता है। हालांकि यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर है और यहां भारतीयों के लिए शिक्षा महंगी भी है, लेकिन युक्रेन, रूस और अनेक देशों में यह शिक्षा अपेक्षाकृत सस्ती और सुलभ रूप से उपलब्ध होने के कारण हजारों बच्चे यहां से पढ़ना ज्यादा ठीक समझते हैं।

अब भारत में विदेशों से पढ़कर लौटे इन मेडिकल छात्रों के लिए बतौर डॉक्टर भारत में पंजीकरण कराना आसान नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार के सहारे ही सही ऐसे छात्र भारत के

त्रिभुवन तिवारी

पवित्र पेशे पर संकट: स्वास्थ्य संगठन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं

मेडिकल काउंसिल में अपना नाम दर्ज कराने की जुगत में लगे रहते हैं। यह सिलसिला पुराना है लेकिन आज भी जारी है।

चिकित्सा शिक्षा एवं उपचार के पवित्र पेशे ने पूंजी और निजी क्षेत्र के गठजोड़ से खुद को भ्रष्टाचार के गटर के रूप में तब्दील कर लिया है। अब वह चाहे मेडिकल काउंसिल (अब कमीशन) हो या मेडिकल एसोसिएशन सब निरीह और भोले भाले मरीजों के खिलाफ गिद्ध की तरह जुटे नजर आते हैं। चिकित्सा का पवित्र पेशा बाजार की बदनाम गली के रूप में तब्दील हो गया है। सरकारें सब जानती हैं लेकिन इसमें अपनी संलिप्तता और लाचारी की वजह से कुछ भी बोल नहीं पा रही। नैतिकता और सेवा का यह क्षेत्र अब लगभग पूरी तरह से दवा कम्पनियों की मुट्ठी में है। फिर भी इस पेशे की मर्यादा को बचाने का प्रयास जारी रहना चाहिए।

(लेखक जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होमियोपैथिक चिकित्सक हैं)

शिकायत के आठ साल बाद व्यापम घोटाले में हुई एक एफआइआर और गिरफ्तारियों के राजनीतिक आशय

चुनावी फिजा में व्यापम की वापसी

इंदौर से **आदित्य सिंह**

मध्य प्रदेश में हुए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले को सामने आए दस साल पूरे हो रहे हैं लेकिन प्याज के छिलकों की तरह इसकी परतें आए दिन खुलती जा रही हैं। सीबीआइ जांच की फाइल बंद होने के बावजूद हाल ही में एसटीएफ द्वारा की गई तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी बताती है कि राज्य में चुनाव करीब हैं। वैसे तो नब्बे के दशक से ही राज्य की भर्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में घोटाले की खबरें सामने आती रही थीं। लोक सेवाओं के लिए ली जाने वाली सरकारी परीक्षाओं में घोटाले के संबंध में सबसे पहली एफआइआर 2000 में छतरपुर जिले में और सात एफआइआर 2004 में खंडवा में दर्ज की गईं थीं। 2009 तक इन्हें स्वतंत्र और छिटपुट उद्घाटनों के रूप में ही लिया जाता रहा। तब इस बात की कल्पना नहीं की गई थी कि यह किसी संगठित गिरोह का काम हो सकता है, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। 2009 में पहली बार मेडिकल की परीक्षाओं में कई शिकायतें आईं और राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी। कमेटी ने 2011 में अपनी रिपोर्ट जारी की जिसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सजा किसी को भी नहीं हो सकी क्योंकि ज्यादातर आरोपी संदिग्ध परिस्थितियों में हिरासत में मारे गए या फिर जमानत पर बाहर आ गए।

व्यापम घोटाले का व्यापक आकार आज से दस साल पहले 2013 में इंदौर में पहली बार खुलकर सामने आया, जब शहर के अलग-अलग होटलों से 6 और 7 जुलाई की दरम्यानी रात 20 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो 7 जुलाई को होने वाले प्री-मेडिकल टेस्ट में अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने के लिए आए थे। पकड़े गए लोगों से पूछताछ के आधार पर हफ्ते भर बाद गिरोह के सरगना जगदीश सागर की 13 जुलाई को मुंबई से गिरफ्तारी हुई और उसके पास से 317 अभ्यर्थियों के नाम वाली एक सूची बरामद हुई। इसके बाद 26 अगस्त 2013 को राज्य सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) गठित की। एसटीएफ की जांच में तमाम नेताओं, नौकरशाहों, व्यापम बोर्ड के अफसरों, गिरोहों, दलालों और अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता को आरोपी बनाया गया।

जून 2015 आते-आते 2000 से ज्यादा लोगों को इस घोटाले में गिरफ्तार किया गया। इनमें राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा से लेकर सौ से ज्यादा नेता थे। जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सौंप दी। व्यापम को न सिर्फ मेडिकल बल्कि अन्य सरकारी परीक्षाओं का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है क्योंकि इसकी जांच के दौरान बड़े

जुलाई 2013 में मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तब तक 40 से ज्यादा लोग इस घोटाले के चक्कर में मारे जा चुके थे

*व्यापम घोटाले में पहली पीआइएल दायर कर उसे बड़े पैमाने पर उजागर करने वाले सरकारी चिकित्सक **डॉ. आनंद राय** का नाम व्यापम के ह्विसिलब्लोअरों में सबसे चर्चित है। आजकल उनके ऊपर एक बॉयोपिक बन रही है। इसके बावजूद डॉ. राय को आज भी इतना परेशान किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। **आउटलुक** के लिए **आदित्य सिंह** ने उनसे बात की*

व्यापम घोटाले की जांच में फिलहाल क्या स्थिति है?

व्यापम के अंतर्गत अब तक केवल 2011 तक की परीक्षाओं की जांच हुई है, जबकि हमने उनको 2005 तक के साक्ष्य दिए थे। जुलाई 2015 में जब सीबीआइ को जांच सौंपी गई, उस समय तक करीब 250 एफआइआर दर्ज थीं। ये सारी एफआइआर तो सीबीआइ को ट्रांसफर हो गईं लेकिन एसटीएफ के पास लंबित शिकायतों को सीबीआइ को नहीं सौंपा गया। सीबीआइ का कहना था कि उनके पास इतना स्टाफ नहीं है। एसटीएफ सारी शिकायतों को वेरिफाइ करने के बाद एफआइआर करती थी, तो उसके पास अब भी करीब 1200 शिकायतें लंबित हैं।

अब भी बड़े पैमाने पर डॉक्टरी परीक्षाओं में घोटाला हो रहा है?

सिर्फ डॉक्टरी नहीं, पूरे देश में सभी तरीकों की ऑनलाइन परीक्षाओं में घपला चल रहा है। ऑनलाइन परीक्षाओं को सबसे सुरक्षित बताया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें घुसना सबसे आसान है। सर्वर हैक किया जा सकता है। यह हमने साबित कर दिखाया है। डीमैट (डेंटल मेडिकल एडमिशन टेस्ट) परीक्षा हमने कैंसिल करवाई। उस वक्त हमने हाइकोर्ट से मॉनिटरिंग करवाई थी। इसके बाद साबित हुआ कि सर्वर हैक हुआ था। बाद में मैंने 2017 में नीट-पीजी (एमडी-एमएस प्रवेश परीक्षा) में हैकिंग को एक्सपोज किया था। उसी साल मैंने एम्स में पेपर लीक को एक्सपोज किया था। नीट-पीजी को अमेरिका की प्रोमेट्रिक कंपनी करवाती है और एम्स की परीक्षा टीसीएस कंपनी करवाती है। जब इन दो बड़ी कंपनियों के सिस्टम में लूपहोल हैं तो छोटी-मोटी कंपनियां कैसे परीक्षाएं करवाती होंगी, आप सोच सकते हैं। जैसे, यहां एडुकेटी नाम की एक संस्था ने शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाई थी, जिसमें पूरे पेपर बाहर आ गए थे। तेरह लाख

एसटीएफ के पास आज भी 1200 शिकायतें लंबित

> डॉक्टर दागी नहीं हैं, डॉक्टर तो क्लाइंट हैं। दागी तो पूरा सिस्टम है। जिस सिस्टम ने भ्रष्ट तंत्र बनाया, वह दोषी है

लोगों ने यह परीक्षा दी थी। पेपर का स्क्रीन शॉट वायरल हो गया था। नेताओं को ये सब सूट करता है। वे घोटाला करते हैं, अपने कैंडिडेंट प्लांट करते हैं और पंद्रह दिन के अंदर पूरे डेटा को राइट-ऑफ कर देते हैं। पुराने जमाने में जब लिखित परीक्षाएं हुआ करती थीं उस समय एविडेंस एक्ट के मुताबिक पांच साल तक उत्तर पुस्तिकाओं को रखना पड़ता था। अब ये लोग पूरे डेटा को पंद्रह दिन में ही खत्म कर देते हैं।

ऐसा कोई नियम बना दिया गया है... ?

नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। उनका कहना है कि वे अपने सर्वर को एंगेज नहीं रख सकते। आखिर कितना डेटा रखें? हमारे यहां इतने सर्वर ही नहीं हैं। आखिर तेरह लाख लोगों का डेटा कब तक सुरक्षित रखेंगे। इसी की आड़ लेकर वे सुबूत खत्म कर देते हैं और घोटाला करते हैं। जैसे, अभी पिछले साल एक परीक्षा हुई थी जिसमें दस के दस लोग फर्जी थे। हम लोगों ने मुद्दा उठाया तो सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी लेकिन सरकार ने आरोपितों के खिलाफ एफआइआर तक नहीं की। जांच की क्या कहें। आखिर जांच क्यों नहीं की? साफ है कि मंशा में खोट है।

यानी व्यापम के दागी डॉक्टर अब भी सिस्टम में मौजूद हैं?

डॉक्टर दागी नहीं हैं, डॉक्टर तो क्लाइंट हैं। दागी तो सीएम शिवराज हैं, उनकी पत्नी हैं, पूरा सिस्टम दागी है। जो डॉक्टर या उनके पैरेंट हैं, वे तो बस क्लाइंट हैं। अगर कोई दारू की दुकान खोल के बैठे तो आदमी दारू खरीदने आएगा न? ऐसे ही जब नेता सीटें बेचने बैठे हों तो लोग खरीदने आएंगे ही। जिस सिस्टम ने इस भ्रष्ट तंत्र को बनाया, असल दोषी तो वह है।

दिग्विजय सिंह की शिकायत पर जो ताजा गिरफ्तारी हुई है, उसे कैसे देखते हैं?

केवल अपराध दर्ज करने के लिए एफआइआर शुरुआती कदम है। इसके बाद जांच होती है। जांच कौन सी पुलिस कर रही है, यह सवाल है। फिर आती है चार्जशीट। फिर आती है सरकारी वकील की बारी। सरकारी वकील का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। पूरे एजी ऑफिस में आरएसएस के भ्रष्ट लोग बैठे हैं। वे लोग केस हार जाते हैं। वे केस हार जाएंगे तो कोई क्या बोलेगा कि जज ने बरी कर दिया। वास्तव में जज ने बरी नहीं किया, बल्कि सरकारी वकील ने कायदे से केस ही नहीं लड़ा। अगर अपराधी बरी हो गया तो ऊपर के कोर्ट में अपील क्यों नहीं की गई? किसी भी बड़े मामले में एजी ऑफिस ने अपील नहीं की। जैसे-तैसे करके बड़ी मुश्किल से तो एफआइआर होती है और अंत में आरोपित बरी हो जाता है। बाद में सजा किसको होती है, पिरामिड में सबसे नीचे वाले को। जो छोटे लोग हैं जैसे, कैंडिटेट को, उसके पिता को, सॉल्वर, ऐसे लोगों को ही सजा हो रही है। इसमें जो पैसा सबसे ऊपर जिसके पास तक गया उसको तो कभी सजा नहीं हुई इस मामले में।

आपकी बड़ी कहानियां सुनी हैं कि आप शिवराज से मिले थे...

मैंने स्टिंग किया था उनका और हाइकोर्ट में लगाया था। उन्होंने मेरा और मेरी पत्नी का मिड सेशन में ट्रांसफर कर दिया था। कई दिन से मिलने का प्रयास कर रहे थे वे। आखिर उन्होंने मिलने को बुला लिया। मैंने स्टिंग कर लिया और हाइकोर्ट में लगा दिया कि देखिए साहब ये हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उन लोगों के पास फिर कोई चारा नहीं बचा, तो हमारा ट्रांसफर कैंसिल कर पिटीशन को ही इनफेक्चुअस करा दिया था। इसके बाद मैंने नरोत्तम मिश्रा का एक स्टिंग किया, जिसमें वे सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। मुझे उन लोगों ने बुलाया ही था सरकार गिराने के लिए, सिंधिया से पहले...।

बड़े खतरनाक आदमी हैं आप...

कुछ नेता तो बस फंस गए थे उस समय वरना मैं उनके लिए नहीं गया था। मेरे निशाने पर तो कोई और था।

तो क्या इसीलिए आपसे बदला लिया गया, जरा से मामले में पिछले साल बंद कर दिया...

चलता है। डरेंगे तो कैसे काम चलेगा।

फर्जीवाड़े का आरोप: मध्य प्रदेश का व्यापम कार्यालय

पैमाने पर लोगों की मौत हुई। 2015 में एसटीएफ ने जबलपुर हाइकोर्ट को एक सूची सौंपी थी, जिसके मुताबिक 23 व्यक्तियों की अस्वाभाविक मौत हुई थी। एसटीएफ के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मौतें एसटीएफ के पास जांच आने से पहले की थीं। जुलाई 2013 में मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक तब तक 40 से ज्यादा लोग इस घोटाले के चक्कर में मारे जा चुके थे। उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) के मुताबिक 25 से 30 वर्ष की उम्र के बीच 32 ऐसे व्यक्ति 2012 के बाद से जांच के दौरान मृत पाए गए जो, 'घोटालेबाज' थे। एसटीएफ और एसआइटी की सूची मिलाकर ऐसे 37 व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक हैं, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का दावा किया जाता रहा है।

इस मामले में 13 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अपने 83 पन्ने के फैसले में अदालत ने 634 डॉक्टरों की डिग्री रद्द कर दी और अनैतिक व्यवहार और धोखाधड़ी के लिए छात्रों को ही दोषी ठहरा दिया।

जांच के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी उंगली उठी थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एसआइटी के समक्ष 15 पन्ने का एक हलफनामा देते हुए आरोप लगाया था कि जांचकर्ता मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं। इससे पहले 2014 में गिरफ्तार किए गए एसटीएफ के एक आइटी कंसल्टेंट ने दावा किया था कि उसे मुख्यमंत्री चौहान की घोटाले में भूमिका को सामने लाने के बदले में प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तमाम आरोप और दिग्विजय सिंह का हलफनामा उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति खानविलकर ने सिरे से खारिज कर दिए थे।

सीबीआइ ने भले ही अपनी जांच बंद कर दी लेकिन व्यापम की आग अब तक बुझी नहीं है। सीबीआइ ने 2015 से 2020 के बीच 155 मुकदमों के आधार पर 3500 से ज्यादा आरोपितों को अपनी चार्जशीट का हिस्सा बनाया था और मामले की फाइल बंद कर दी थी। एसटीएफ अब तक ऐसी शिकायतों की जांच कर रही है, जो सीबीआइ ने संज्ञान में नहीं ली थीं। इन्हीं में एक शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा 2014 में की गई थी, जिसमें कुछ भाजपा नेताओं को घोटाले का लाभार्थी बताया गया था। आश्चर्यजनक रूप से इस शिकायत को एफआइआर में तब्दील होने में आठ साल लग गए।

2022 के दिसंबर में 6 तारीख को एसटीएफ ने दिग्विजय की शिकायत के आधार पर आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी में खलबली मच गई। इतने दिन बाद आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सका। इस मामले में एसटीएफ ने जनवरी 2023 के अंत में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। यह व्यापम के तीन दशक पुराने सिलसिले में हुई ताजा गिरफ्तारी है। चूंकि एफआइआर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की 'प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संलिप्तता' का जिक्र है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी वजहों से भाजपा के कुछ नेताओं को निपटाने की मंशा से दिग्विजय सिंह की शिकायत को झाड़-पोंछ कर बंद बक्से में से निकाल कर फिर जिंदा किया गया है।

दिग्विजय सिंह ने एसआइटी के समक्ष 15 पन्ने का एक हलफनामा देते हुए आरोप लगाया था कि जांचकर्ता मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं

मंशा चाहे जो हो, लेकिन जब एक पूर्व मुख्यमंत्री की शिकायत आठ साल बाद एफआइआर में बदले, तो कल्पना ही की जा सकती है कि बीते दस वर्षों के दौरान उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने इस घोटाले को सामने लाने के लिए जान की बाजी लगाई। ऐसे साहसी लोगों में सबसे चर्चित नाम डॉ. आनंद राय, अजय दुबे और आशीष चतुर्वेदी के हैं, जो आज तक घोटाले को उजागर करने की सजा भोग रहे हैं। राय को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। दो महीने बाद राय को बड़ी मशक्कत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। पिछले दो साल में दो विभागीय जांच और चार एफआइआर से त्रस्त डॉ. राय दोबारा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि उन्हें राज्य सरकार और प्रशासन से जान का खतरा है। इसी तरह आशीष चतुर्वेदी भी महीनों दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे हैं। लेकिन इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिर मुद्दा गरम है।